अनुदान संख्या 55 – लक्षद्वीप
GRANT No. 55 - LAKSHADWEEP

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	1238,21,00				
				1238,22,00	1209,44,70	-28,77,30
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					9,16,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			229,10,00	65,87,73	-163,22,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					160,31,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुएः–

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2059" सार्वजनिक निर्माण	Major Head "2059" Public Works				
मू.	O.	3473.00			
			2960.00	2891.43	-68.57
पु.	R.	-513.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	16570.00	15832.00	15494.55	-337.45
पु.	R.	-738.00			
मुख्य शीर्ष "2216" आवासन	Major Head "2216" Housing				
मू.	O.	806.00	65.00	49.47	-15.53
पु.	R.	-741.00			
मुख्य शीर्ष "2401" फसल	Major Head "2401" Crop Husbandry				
मू.	O.	1975.00	1388.00	1365.57	-22.43
पु.	R.	-587.00			
मुख्य शीर्ष "2403" पशु पालन	Major Head "2403" Animal Husbandry				
मू.	O.	2404.00	993.00	985.41	-7.59
पु.	R.	-1411.00			
मुख्य शीर्ष "2405" मत्स्य पालन	Major Head "2405" Fisheries				
मू.	O.	1530.00	1147.00	989.65	-157.35
पु.	R.	-383.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष"2515" अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Major Head "2515" Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	953.00			
पू.	S.	1.00	1468.00	1444.05	-23.95
पु.	R.	514.00			
मुख्य शीर्ष "2801" विद्युत	Major Head "2801" Power				
मू.	O.	13711.00	19499.00	19284.94	-214.06
पु.	R.	5788.00			

(I) ₹1507.00 लाख का प्रावधान चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹600.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2216"–"सामान्य –आवास बोर्डों/निगमों आदि को सहायता–लक्षद्वीप आवास विकास बोर्ड के अंतर्गत – लक्षद्वीप भवन विकास बोर्ड बंद होने के कारण थे।

(I) Provision of ₹1507.00 lakhs remained wholly unutilised under fourteen heads; of these ₹600.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2216" – "General – Assistance to Housing Boards/Corporations etc. – Lakshadweep Housing Development Board" – due to closure of Lakshadweep Building Development Board.

(II) मुख्य शीर्ष "2059"–"सामान्य – उचंत – स्टाक" के अंतर्गत – ₹505.83 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भंडार सामग्री की खरीद में देरी और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती करने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2059" – "General – Suspense - Stock" - saving of ₹505.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to delay in procurement of store materials and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) "मुख्य शीर्ष "2202" के अंतर्गत –

(III) Under Major Head "2202" –

(का) "विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा – सरकारी कालेज और संस्थान– जूनियर कालेज"– ₹699.25 लाख की बचत (₹1650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रवृत्ति दावे प्राप्त होने में देरी, मुख्य भूमि पर उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों की कम संख्या, कालीकट विश्वविद्यालय के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने में विलंब के कारण हुई।

(A) "University and Higher Education – Government Colleges and Institutes – Junior Colleges" - saving of ₹699.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1650.00 lakhs) was due to delay in receipt of scholarship claims, less number of students pursuing higher education at mainland and delay in receipt of utilisation certificate for Calicut University.

(खा) "सामान्य – ग्राम पंचायतों को सहायता –पंचायतें"– ₹1649.00 लाख की बचत (₹2650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

(B) "General – Assistance to Gram Panchayats – Panchayats" – saving of ₹1649.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2650.00 lakhs);

(IV) मुख्य शीर्ष "2401"– "ग्राम पंचायतों को सहायता – पंचायतें" के अंतर्गत ₹745.00 लाख की बचत (₹750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(IV) Under Major Head "2401" – "Assistance to Gram Panchayats - Panchayats" - saving of ₹745.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹750.00 lakhs);

(V) मुख्य शीर्ष "2403" – "ग्राम पंचायतों को सहायता – पंचायतें" – ₹1325.07 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(V) Under Major Head "2403" - "Assistance to Gram Panchayats - Panchayats" - saving of ₹1325.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs); and

(VI) मुख्य शीर्ष "2405" – "ग्राम पंचायतों को सहायता – पंचायतें" – ₹543.32 लाख की बचत (₹550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(VI) Under Major Head "2405" - "Assistance to Gram Panchayats - Panchayats" - saving of ₹543.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹550.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्कीमों की पुनर्संरचना और कोविड–19 महामारी के कारण पंचायतों से उपयोगिता प्रमाणपत्र मिलने में देरी होने के कारण हुई ।

Saving under the above four heads were due to restructuring of schemes and delay in receipt of utilization certificates from panchayats owing to COVID-19 pandemic.

(VII) सात शीर्षों के अंतर्गत ₹2556.35 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किन्तु ₹500.00 लाख से कम थी और स्वीकृत प्रावधान की 22 प्रतिशत से 82 प्रतिशत थीं।

(VII) Under seven heads savings of ₹2556.35 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 22 percent to 82 percent of the sanctioned provision.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹499.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि जुलाई, 2021 में मुख्य शीर्ष "2515"–"पंचायती राज –राष्ट्रीय ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत ₹1,00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹482.04 लाख था।

2.(I) The above savings were partly (499.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in July, 2021 under Major Head "2515" - "Panchayati Raj – Rashtriya Gram Panchayat Yojana". Actual excess, however, was ₹482.04 lakhs.

(II) बचतें भी निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं।

(का) मुख्य शीर्ष "2202" –

(क) "माध्यमिक शिक्षा – सरकारी माध्यमिक स्कूल – माध्यमिक स्कूल"– ₹777.81 का अधिक व्यय (₹6065.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एमएसीपीएस को अनुदान, संवर्धित मंहगाई भत्ता और अपेक्षाकृत अधिक चिकित्सा दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ख) "सामान्य – निदेशन और प्रशासन –शिक्षा निदेशालय" – ₹575.74 लाख का अधिक व्यय (₹115.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्मार्ट कक्षाओं के गठन, कम्प्यूटरों की खरीद और मरम्मत, संदर्भ पुस्तकों की खरीद, पुस्तकालय सुद्रढ़ीकरण और स्कूल पुरस्कारों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2801" – "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन –लक्षद्वीप में विद्युत आपूर्ति–विद्युत संयंत्र और अनुषंगी कार्य" – ₹5592.63 लाख का अधिक व्यय (₹13488.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्युत उत्पादन के लिए हाई स्पीड डीजल की कीमतों में वृद्धि, रिक्त पदों को भरे जाने और एमएसीपीएस को अनुदान देने के कारण हुआ।

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1563.81 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से ज्यादा किंतु ₹500.00 लाख से कम था और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक था।

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2202" –

(a) "Secondary Education – Government Secondary Schools – Secondary Schools" – excess of ₹777.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6065.00 lakhs) was due to grant of MACPS, enhanced dearness allowance and receipt of more medical claims.

(b) "General – Direction and Administration – Directorate of Education" - excess of ₹575.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹115.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards setting up of smart classrooms, purchase and maintenance of computers, purchase of reference books, strengthening of library and school awards.

(B) Major Head "2801" – "Diesel/Gas Power Generation – Supply of Electricity in Lakshadweep – Power Plant and Ancillary Works" - excess of ₹5592.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13488.00 lakhs) was due to price hike of High Speed Diesel for power generation, filling up of vacant posts and grant of MACPS.

(III) Under four heads excess of ₹1563.81 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 12 percent to 59 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईं:

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	1220.00	530.00	421.19	-108.81
पु.	R.	-690.00			
मुख्य शीर्ष "5052" पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5052" Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	5700.00	522.00	509.61	-12.39
पु.	R.	-5178.00			
मुख्य शीर्ष"5053' नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5053" Capital Outlay on Civil Aviation				
मू.	O.	5575.00	150.00	149.72	-0.28
पु.	R.	-5425.00			
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	1500.00	540.00	522.73	-17.27
पु.	R.	-960.00			

(I) ₹1250.00 लाख का प्रावधान बारह शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1250.00 lakhs remained wholly unutilised under twelve heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4210" – "ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें –अस्पताल और औषधालय –चिकित्सा उपकरण" ₹528.00 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण चिकित्सा उपकरणों की खरीद में देरी के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4210" – "Rural Health Services – Hospitals and Dispensaries – Medical Equipments" - saving of ₹528.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to delay in purchase of medical equipments owing to COVID - 19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष "5052" के अंतर्गत – तटीय पोत परिवहन – टनेज अधिग्रहण और विस्तार"– बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :

(III) Under Major Head "5052" – "Coastal Shipping – Acquisition and Expansion of Tonnage" – savings occurred under the following heads: -

(का) "जहाजों का निर्माण"– ₹3770.17 लाख की बचत (₹4200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कार्गो/यात्री जहाज खरीदने के लिए निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(A) "Construction of Ships" - saving of ₹3770.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.00 lakhs) was due to non-finalization of tender for purchase of Cargo/passenger ships owing to COVID - 19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "बर्थिंग सुविधा"– ₹1420.22 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण नए और चल रहे जेटियों और बर्थिंग सुविधा के निर्माण में विलंब और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(B) "Berthing Facilities" - saving of ₹1420.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to delay in construction of new and ongoing jetties and berthing facilities owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) मुख्य शीर्ष"5053"–"विमानपत्तन–हवाई अड्डे–हवाई अड्डे"– ₹5425.28 लाख की बचत (₹5575.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण हवाई अड्डो और हेलिपेडों के लिए भूमि अधिग्रहण/निर्माण/विस्तार कार्य में देरी और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "5053" – "Airports – Aerodromes –Aerodromes" - saving of ₹5425.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5575.00 lakhs) was due to delay in acquisition of land/construction/extension work of airports and helipads owing to COVID-19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(V) मुख्य शीर्ष "5054"–जिला और अन्य सडकें – सडक निर्माण–संपर्क सडकों का निर्माण "–₹977.27 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण/निर्माण कार्य में विलंब और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "5054" - "District and Other Roads - Road Works - Construction of Link Roads" - saving of ₹977.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to delay in acquisition of land/construction of roads owing to COVID - 19 pandemic and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VI) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1517.28 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से कम थी और स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत से 57 प्रतिशत तक थी।

(VI) Under four heads saving of ₹1517.28 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 21 percent to 57 percent of the sanctioned provision.